02/05/2025

वकील साथी उपस्थित साथी ने बयान किया कि इस पत्रावली को
मा० राजस्व मण्डल द्वारा तलब किया गया है। तलबी पत्र की प्रति
पेश की जा चुकी है। मूल तलबी पत्र अप्रार्थी रामअवतार
ने जानबूझकर प्रकरण को लंबित रखने की मंशा से न्यायालय
में पेश नहीं किया है। इस पत्रावली के मा० राजस्व मण्डल में नहीं
पहुँचने के कारण मा० राजस्व मण्डल में कार्यवाही नहीं हो रही है।
अतः पत्रावली को मा० राजस्व मण्डल में पारित की
जाये।
अप्रार्थी स्वयं ने मा० राजस्व मण्डल में प्रकरण लंबित
होना स्वीकार करते हुए पत्रावली निपटान का बयान किया है।
अतः पत्रावली को मा० राजस्व मण्डल को भेजकर इन्द्राज
संबंधित पंजिका में किया है। पत्रावली मय से बन्द हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)